शादी 76

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम वाला है।
सब तअरीफ़ें अल्लाह तआला के लिए हैं। हम उसी का शुक्र अदा करते हैं और उसी से मदद और माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की ला तादाद सलामती, रहमतें और बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल. पर, आप की आल व औलाद और असहाब रज़ि पर।
व बअद!
(1) निकाहः— मर्द व औरत के बीच ऐसा समझौता व बन्धन जो इस मकसद से हुआ हो कि दोनों एक—दूसरे से लुत्फ़ अन्दोज़ होंगे और सुकून हासिल करेंगें। एक सालेह खानदान की बाग—डोर डालेंगें और एक साफ—सुथरे समाज का हिस्सा बनेंगें, निकाह कहलाता है।
(2) शादीः— यह अल्लाह की बहुत बड़ी नैमत और ज़िदंगी का एक बेहद खास मौका है जो अपने साथ खुशियां लेकर आता है। शौहर गर्म जोशी से अपने घर को रौनक देने वाली बीवी का इस्तक़बाल (स्वागत) करता है तो रिश्तेदार और क़रीबी दोस्त नौ—ब्याहता जोड़े को मुबारकबाद देते हैं। इस्लाम ने शादी ब्याह के ऐसे तरीके बतलाए हैं जिनमें अपनी खुशियों का इज़हार भी है और अल्लाह की रज़ा भी। जैसे निकाह (हो जाने) पर मुबारकबाद देना, निकाह के ऐलान के लिए दफ़ बजाना, घर में बच्चियों का साफ—सुथरे गीत गाना। शौहर की तरफ से बीवी को मेहर का तोहफा देना और दावते वलीमा वगैरह। लेकिन इन कामों में इस बात का भी ध्यान रहे कि कोई बात शरीयत या इस्लाम की आम तालीमात के खिलाफ न हो। क्योंकि शादी उस खुशी का नाम नही है जिसमें इंसान अल्लाह को भूल जाए और मनमानी करने लगे बल्कि ऐसी खुशी है जिसमें अल्लाह याद रहे और बन्दा उससे डरते हुए उसकी रज़ा जोई का सुबूत दे।
इस्लाम अपने मानने वालो में ऐतेदाल पसन्दी, खर्च के मामले में बीच की राह, बेकार बातों से परहेज़, नुमाइशी कामों से दूरी और उनका भले तरीके पर चलना पसन्द करता है। हम यूं समझ लें कि शादी इन्सान के लिए इम्तेहान का वक्त है। अब वह यह देख ले कि इस मौके पर उसका रवैया (बर्ताव) अल्लाह को खुश करने वाला है या उसके किये गये काम और रुसुमात शैतान को खुश करने वाले हैं।
(3) रिश्ते की तलाशः— रिश्ते की तलाश से शादी का सिलसिला शुरू होता है और इस बारे में नबी सल्ल. का फरमान है ''औरत से निकाह में चार बातें देखी जाती हैं—1. उसका माल, 2.खानदान, 3.खूबसूरती और 4. दीनदारी। तुम दीनदारी को तरजीह दो।''(बुखारी—5090—मुस्लिम—2681) लेकिन आज होने वाली बहु (दुल्हन) में अमूमन पहले 3 चीज़े ही देखी जाती हैं, दीनदारी लड़की की हो या लड़के की उसे नजर अन्दाज़ कर दिया जाता है। लड़का अच्छा कमाने वाला हो

चाहे उसके कमाई के ज़रिये जाइज़ हो या नाजाइज़। इस पर ध्यान नही दिया जाता। इसी तरह लड़की में आजकल सरकारी मुलाज़िम को तरजीह दी जाती है और उसकी इस खूबी की आड़ में उसकी दूसरी कमियां नज़र अंदाज़ कर दी जाती हैं। नतीजन कई शरीफ पढी लिखी मगर गरीब लड़कियों को अच्छा रिश्ता नही मिल पाता। काश हम सभी लड़के और लड़की दोनों में दीनदारी तलाशने लगें। जहां दीनदारी होती है वहां गरीबी में भी घर जन्नत का नमूना होता है।

(4) मंगनीः– शादी की शुरूआत मंगनी की रस्म से होती है। हालांकि मंगनी की कोई रस्म इस्लाम में नही है। मंगनी निकाह नही बल्कि वादा ए निकाह है और मंगनी टूट जाया भी करती है फिर उसके लिए दावत कैसी? इस मौके पर मर्द की तरफ से होने वाली बीवी को जे़वरात व कपड़े वगैरह का तोहफा भी भेजा जाता है। अगर किसी वजह से मंगनी टूट जाए तो यह तोहफे वापिस ले लिये जाते हैं। शादी से कुछ दिन पहले दुल्हन के लिए हल्दी और मैहंदी की रस्म अदा की जाती है जिस्में मौहल्ले और बिरादरी की औरतों को जमा किया जाता है शानदार और कीमती कार्ड छपवाये जाते हैं जबकि सादे व सस्ते कार्ड छपवाकर काफी रकम बचाई जा सकती है और उन रुपयों से किसी गरीब की मदद की जा सकती है। इसी तरह डेकोरेशन (सजावट) पर अपनी शान औ शौकत के दिखावे के लिये हजारो रुपये बहा दिये जाते हैं और कुरआन की इन आयात को भुला दिया जाता है। ''फिज़ूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही ना शुक्रा है।''(इस्रा–आयत–27)''फख्र से कहता है कि मैंने बहुत सा माल उड़ा दिया। क्या वह समझता है कि किसी ने उसे देखा नहीं? '' (बलद–आयत–6–7) नबी सल्ल. का यह फरमान भी ज्यादातर लोग भूल चूके हैं कि '' किसी बन्दे के कदम (कयामत के दिन) हट न सकेंगें। जब तक कि उससे उसके माल के बारे में यह सवाल न कर लिया जाए कि कहां से कमाया और किस (काम) में खर्च किया।''(तिर्मिज़ी)। बाजे गाजे के एहतेमाम और आतिशबाज़ी पर भी हज़ारो रुपया फिज़ूल बहा दिया जाता है और जिस निकाह को शरीयत ने आसान रखा था उसे गरीबों के लिये मुश्किल और तकलीफ़ देह बना दिया जाता है।

(5) गाना–बजानाः– शादी वाले घर में अकसर यह भी होता है कि सुबह से देर रात तक फिल्मी गाने बजाये जाते हैं जो ज्यादातर बेहयाई वाले हाते हैं। डेक या टेप की आवाज़ इतनी ज्यादा होती है कि सुनने वालो को तकलीफ होने लगती है। घरों में नमाज़ पढ़ने या तिलावते कुरआन करने वालो को खलल (डिस्टर्ब) होता है। पड़ोसियों का सुकून छिन जाता है। कुछ घरों में नाच गाने का यह अमल खुद घर वाले (मर्द व औरतें मिलकर) अन्जाम देते हैं और अपनी सुरीली आवाज़ो में शहवत भरे गीत गाते हैं। यह भूल जाते हैं कि यह हराम काम करके वो अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं। कुरआन ने सिर्फ ज़िना को ही हराम नही कहा बल्कि ज़िना के करीब जाने से भी रोका है। जैसे–''ज़िना के करीब भी न जाओ।''(इस्रा–आयत–32) ''बे हयाई की बातों के करीब भी मत जाओ। चाहे वो खुली हों या छिपी हुई।''अनआम–आयत–151 औरतों के शहवत भरे गाने तो खुली बेहयाई हैं।

लेकिन अगर वोह नाज़ ओ अदा के साथ को नअतिया कलाम भी सुनाएं तो यह भी बेहयाई होगी, मगर छिपी हुई। इसलिए कि इस तरह वह अपनी सुरीली आवाज़ से मर्दो को सुनने का लुत्फ (मज़ा) देती हैं और अल्लाह का फरमान है ''औरतें (गैर) मर्दो के साथ नज़ाकत से बात न करें।'' (अहज़ाब–आयत–32) और ''इस तरह न चले कि उनके ज़ेवरों की झन्कार(गैर) लोगो को सुनाई दें।''(नूर–आयत–31) जो लोग आज़ाद ख्याल होते हैं और जिनके पास दौलत की भी कमी नही होती। वो शादी ब्याह के मौके पर खासतौर से नाच–गाने का एहतेमाम करते हैं। जिसमें जवान और खूबसूरत औरतें नाचती गाती हैं और ऐसे लोग उन्हें सुनते–देखते हैं जिनके दिलों से एहसासे गुनाह जाता रहता है। उस वक्त वो यह भी भूल जाते हैं कि उन का रब सब देख रहा है और उनके हर अमल और हरकत की उसे खबर है।

(6) मीलाद ख्वानीः– शादी के मौके पर कुछ जगहों पर मीलाद पढाया जाता है। बज़ाहिर मीलाद में नबी सल्ल. की शान में नअतिया अशआर पढ़े जाते हैं जो अक्सर गुलू आमेज़ होते हैं। मीलाद में जो सलाम पढ़ा जाता है उसमें यह अकीदा होता है कि नबी सल्ल. तशरीफ लाए हैं। इसलिए आपके इस्तक़बाल (स्वागत) में खड़े होकर सलाम पढ़ा जाता है। लोग आप सल्ल. को हाज़िर नाज़िर भी मानते हैं। फिर इतना भी गौर नही करते कि जब आप हर जगह हर वक्त हाजिर नाजिर हैं तो तशरीफ लाना कैसा? मीलाद एक वक्त में सैकड़ों हजारों जगह पढा जाने की हालत में नबी सल्ल. का हर महफिले मीलाद में तशरीफ ले जाना क्या मुमकिन है? क्या हर महफिले मीलाद की आवाज़ आप सल्ल. अपनी कब्रे मुबारका में सुन लेते हैं? क्या एक वक्त में कई जगह पहुँचने की कुदरत आप सल्ल. रखते हैं? यकीनन नही! यह सिर्फ अल्लाह की शान है जो हर वक्त, हर जगह की और हर दिल की बात जानता है। फिर भी लोग हैं कि शैतान के झांसे में आकर अल्लाह का हक़ गैरुल्लाह में तस्लीम करने को दीन समझे बैठे हैं।

(7) औरतों–मर्दो का एक जगह इकठा होनाः– कुछ आज़ाद ख्याल लोग शादी की तकरीबात में औरतों–मर्दो की मखलूत मजलिसें रखते हैं। जिनमें औरतें कीमती लिबास व ज़ेवरात में सजकर बेपर्दा शरीक होती हैं। हालांकि अल्लाह ने ''औरतो को–अजनबी मर्दो पर अपनी ज़ीनत (बनाव–श्रृंगार) के इज़हार से मना किया है।''(नूर–आयत–31) इस तरह की मखलूत महफिलें रखने वाले शरीयत के अहकाम की परवाह न कर के गैर इस्लामी तहज़ीब को बढ़ावा देते हैं। यहां तक की दुल्हा–दुल्हन को एक साथ एक ही स्टेज़ पर बैठा दिया जाता है और पर्दे के अहकाम की धज्जियां उड़ा जाती हैं। क्या यह सब करना गुनाह नहीं?

(8) सेहराः– फूलों की लड़ियों या किसी और चीज़ से दूल्हा को इस तरह सजाना कि उस का चेहरा छिप जाए, सेहरा कहलाता है। यह इस्लामी तरीका नही है लेकिन काफी मुसलमानों ने इसे इस तरह अपना लिया है कि इसके बिना दूल्हा निकाह के लिये जा ही नही सकता। जबकि मर्द को औरतों की तरह चेहरा ढ़ापना (ढ़कना) ज़ेब नही देता और ना शरअन औरतों की नकल मर्दो के लिये जायज़ है। इस रस्म को रिवाज़ देने में शायरों का भी दखल है जिनके कलाम ने लोगो को इसके लिए

उभारा है।

(9) बारातः– यह भी एक ज़ाहिली रस्म है। जिसमें दूल्हा के साथ रिश्तेदारों, पड़ोसियो और दोस्तों की एक कसीर तादाद निकाह के लिये दुल्हन के घर जाती है। जिनकी खातिरदारी दुल्हन वालो को करना पड़ती है। अगर बारातियों की मेहमान नवाज़ी में कुछ कमी रह जाए तो दुल्हन वालो को सारी ज़िन्दगी लोगो के ताने सुनने पड़ते हैं। निकाह के लिये बारात बनाकर बहुत से लोगो को साथ ले जाना अच्छा काम नही है। सहाबा किराम रज़ि. में बारात का रिवाज़ नही था।

(10) दरगाहों पर हाज़िरीः– कुछ लोग दूल्हा को निकाह से पहले किसी करीबी दरगाह पर ले जाते हैं ताकि साहिबे मज़ार उसकी शादी को कामयाब बना दें। जबकि कब्र में दफन शख्स चाहे वह कितना ही बड़ा अल्लाह का वली हो– न किसी की पुकार सुन सकता है और न ही अल्लाह और बन्दों के बीच वास्ता या वसीला बन सकता है। इस्लाम खालिस तौहीद का दीन है जिसमें किसी मदफून शख्स से मदद मांगने, फरयाद करने या उसको वास्ता या वसीला बनाकर पुकारने की कोई गुंजाइश नही है। यह मुश्रिकाना बातें हैं और शिर्क वह गुनाह है ''जिसे अल्लाह कभी माफ नही करेगा, हां उसके सिवाये दूसरे गुनाहों को जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा।''(निसा–आयत–48)

(11) मेहरः– इसे लेकर भी इफरात और तफरीत पाई जाती है। कहीं मेहर इतना ज़्यादा बांधा जाता है जो शौहर की हैसियत से बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं बस नाम मात्र को। इस्लाम ऐतेदाल का मज़हब है। इस लिये शरीयत के तकाज़ो को समझते हुऐ आपसी रज़ामन्दी से मअकूल और मुनासिब मेहर बांधना चाहिये जिसमें दुल्हन की अहमियत का लिहाज़ भी हो और शौहर की हैसियत का ध्यान भी।

(12) फोटोग्राफीः– स्टेज़ पर दूल्हा–दुल्हन को बिठाकर पहले फोटो खिंचवाए जाते थे ताकि मुबारकबाद देने वालों के साथ खींचे फोटो यादगार रहें। एलबम में सजी तस्वीरें शादी की यादगार हुआ करती थीं। अब मूवी (फिल्म) बनाई जाती है और शादी के बाद इन तसावीर और फिल्म को मेहरम और गैर मेहरम मर्द व औरतें सभी देखते हैं। औरत जो हया की चादर है, जिसे परदे में रखना था। शरीयत को ठेंगा दिखाकर उसे अपने पराये सभी को दिखाया जाता है। और दुल्हनें शौहर से पहले फोटोग्राफर या वीडियोंग्राफर के सामने घूघंट उठाती नजर आती है।

(13) तोहफा देनाः– यह एक पसंदीदा चीज़ है। मगर नामवरी, एहसान जताने या बदले के लिये न हो। इर्शादेबारी तआला है ''लोगो पर इसलिए एहसान न करो कि तुम्हें (बदले में) ज़्यादा मिल जाए।'' (मुदस्सर–आयत–6) आप जानते हैं कि शादी के मौके पर दुल्हा–दुल्हन को जो तोहफे दिये जाते हैं वो या तो बदले की नीयत से दिये जाते हैं या फिर नही देंगे तो बुरा मानेंगे या फिर ताना पड़ेगा। यह रस्मों का ही दबाव है जो लोग देने पर मजबूर हैं। कई बार इसी वजह से जो शख्स देने की ताकत नही रखता वह शर्मिन्दगी से बचने के लिये शादी में शिरकत ही नही करता। इसी तरह लिफाफो का चलन जो आज आम है वह भी मुनासिब नही है। इन तोहफो और लिफाफो का बाकायदा हिसाब रखा जाता है जो इसके कर्ज़ या बदला समझे

जाने का सबूत है। इसके बदले अगर इस मौके पर इस्लाह और तब्लीगे दीन की नीयत से दीनी कुतुब या कैसेट्स या कुरआने करीम मअ तरजुमा व तफसीर दिया जाए तो यह बेहतर तोहफा होगा।

(14) पहनावनीः– यह गैर मुस्लिमों की रस्म है जिसे कुछ मुस्लिम बिरादरियों ने अपना रखा है। सास–ससुर, देवर–देवरानी, ननद–ननदोई, जेठ–जेठानी, खाला सास, चची सास, मूमानी सास, फूफी सास वगैरह को जोड़ा या दुपट्टा देना पड़ता है। मालदार लोग तो सब को जोड़े ही देते हैं। कहीं सास–ससुर अगर इन्तेकाल कर गये हों तब भी उनके जोड़े दुपट्टे दिये व लिये जाते हैं। अगर कोई गरीब यह सब न दे पाए या कुछ कमी रह जाए तो तरह तरह के ताने उसे सुनना पड़ते हैं। पहले यह वबा (बीमारी) सिर्फ शादी तक सीमित थी मगर अब तरक्की करके कई मौको तक फैल गई है। मसलन मंगनी के मौके पर, शादी पर, अगर हमल रह जाए तो सतवासे पर, बच्चा पैदा होने के सवा महीने बाद, अकीके पर और अब तो किसी शख्स के रिटायर्डमेंट की पार्टी देने पर भी पहनावनी की जाती है। इसी तरह हज करके लोटने के बाद पार्टी देने पर । लड़की वाले बेचारे कितने ही गरीब हों उन्हें इस जुर्माने को भरना पड़ता है। और लड़के वाले कितने ही खुशहाल हों उन्हें लेने में शर्म महसूस नही होती क्योंकि रिवाज़ है। कोई गरीब लड़की वाले के दिल को महसूस नही करता। बस एक जुल्म है जो रिवाज़ के नाम पर जारी है और अल्लाह का कोई बन्दा इस बदरस्म को मिटाने की कोशिश भी करता नज़र नहीं आता।

(15) वलीमाः– यह अपनी हैसियत के मुताबिक छोटे पैमाने पर भी किया जा सकता है और ज्यादा लोगो को बुलाकर भी। इसमें बेहतरीन लज़ीज़ खाने भी बनाए जा सकते हैं और मामूली खाना भी। जानवर का गोश्त भी बनाया जा सकता है और मिठाईयां भी। आजकल आमतौर पर शादी में तीन तीन दावतें होने लगी हैं–

1. बारात के पहुँचने पर (लड़की वालो की तरफ से)
2. निकाह के वक्त (पहले या बाद) लड़की वालों की तरफ से
3. वलीमा (मर्द की तरफ से)

जहां कहीं निकाह के मौके पर लड़की वाले खाने की दावत नही करते वो चौथी का एहतेमाम करते हैं। इस तरह शादी ब्याह में शामिल हर शख्स के लिये इन सब मौको (दावतों) पर शामिल होना आसान नही होता। फिर भी अज़ीज व अकारिब दूर दराज से शादी में शिरकत करने इसलिये आते हैं कि अगर ना गये तो बुरा माना जाएगा और रिश्तो पर असर पड़ेगा। जिन दावतो के बारे में मालूम हो कि वहां गाने बजाने का एहतेमाम है या नाच गाने की महफिल सजाई गई है या मर्द व औरतों का इख्तेलात है जिसकी वजह से बेपर्दगी और औरतों की ज़ीनत का मज़हिरा हो किसी भी दीनदार शख्स को ऐसी दावत में शिरकत से बचना चाहिये। अगर वहां पहुँचने के बाद मालूम हो तो मेज़बान के सामने इन बुराईयों के खिलाफ नफरत का इज़हार करके लौट जाना चाहिये। शायद उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए।

(16) जहेज़ः– जहेज के नाम पर लड़के या लड़के वालो की तरफ से जो सामान,

जैवर, गाड़ी या रुपया मांगा जाता है यह हराम है। इसलिये कि अशरीयत ने शौहर को देने वाला बनाया है न कि लेने वाला। शौहर पर इसलिए मेहर फर्ज़ है, चाहे वह कम हो या ज़्यादा। शौहर बीवी को तोहफे देने के बजाये उल्टा उससे या उसके घर वालो से जबरदस्ती तोहफे या माल वसूल करे। क्या यह बेगेरती नहीं? अल्लाह तआला का फरमान है ''मर्दों को औरतों पर एक दर्ज़ा फजीलत है इसलिये कि वो औरतो के मुहाफिज़ हैं और उन पर अपना माल खर्च करते हैं।'' (निसां–आयत–34) अलबत्ता दुल्हन के वाल्देन या घर वाले अपनी लड़की को अपनी मर्ज़ी और खुशी से कुछ तोहफे या घरेलू सामान अगर दें तो यह जाइज है। लेकिन इस बात ने भी अब एक रस्म की शक्ल इख्तियार कर ली है। जहेज का सामान शादी घर में सज़ा कर उसकी नुमाइश की जाती है और लोगो को दिखाकर उसकी तारीफ सुनी जाती है अपनी शान औ शौकत का इज़हार करके फ़ख्र का एहसास किया जाता है। जबकि ''अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसन्द नही करता जो इतराने वाला और घमण्ड करने वाला हो।''(सबा–आयत–18) वाल्देन अगर अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो

शादी के मौके पर ही क्यों देते हैं? शादी से कुछ दिन पहले या बाद क्यों नही? यह ख्याल भी सही नही कि वाल्देन ने जहेज देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अल्लाह ने उन्हें मालदार बनाया है तो वह यह नही कह सकते कि हमने अपनी बेटी को जहेज दे दिया। अब उसका हमारे माल में कोई हक नही। ध्यान रहे कि माँ बाप के तरके (विरासत) में बेटियां भी वारिस हैं और जहेज दे देने से उनका विरासती हक खत्म नही हो जाता। गरीब लोग समाज में अपनी लाज रखने और बेटी को तानो से बचाने की खातिर कर्ज़ लेने को मजबूर हो जाते हैं और कुछ को अपनी जमीन या मकान रहन रखना पड़ जाता है। कुछ को सूद (ब्याज) पर कर्ज़ लेना पड़ता है तो कोई गरीब जकात मांग कर या लोगो से फरेब करके जहेज का इन्तेजाम करता है। और जो गरीब ये सब नही कर सकते उनके घरों में बेटियों के हाथ पीले नही हो पाते या फिर उन्हें मुनासिब रिश्ते नही मिलते।

आखिरी बात यह कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे अल्लाह देख रहा है। हमारे अमल का रिकार्ड तैयार हो रहा है। हमारा हर अमल फ़रिश्ते लिख रहे हैं हर लम्हा हमारी तस्वीर उतर रही है और हमारी पूरी ज़िन्दगी की फ़िल्म तैयार हो रही है। जो क़यामत के दिन हमें दिखाई जायेगी और हर शख़्स अपने अमल के मुताबिक़ जज़ा या सज़ा पायेगा।

अल्लाह हम सभी को सुन्नत के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने और शादी जैसा अहम काम रस्मो–रिवाज और बिदआत को छोड़कर सुन्नते रसूल सल्ल. के मुताबिक़ अदा करने की तौफ़ीक अता करें।

आपका दीनी भाई

मुहम्मद सईद

टोंक

दिनांक 20/08/2009

मो.09887239649, 09214836639